न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 175/2019

GCMS NO. : 2019/00082

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. पपलीदेवी पत्नी शेषाराम जाति मेघवाल निवासी देवरिया तहसील जैतारण।		1. ओमप्रकाश पुत्र भीकाराम 2. नैनाराम पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी देवरिया तहसील जैतारण। 3. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थीया।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 30/07/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा देवरिया पटवार हल्का देवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे सायला एवं गैरसायलान् की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा आई हुई है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। वर्णित खसरान भूमि का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा दिनांक 14/07/2017 को राजस्व वाद मे बंटवाडा का आदेश कर सभी खातेदारो का अलग अलग रामेश्वरलाल पुत्र भीकाराम ख.नं. 167/4 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ओमप्रकाश पुत्र भीकाराम गैरसायलान् संख्या 1 का ख.नं. 167/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, लीला पुत्री भीकाराम का ख.नं. 167/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, पानीदेवी पत्नी भीकाराम ख.नं. 167/3 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, पपली पत्नी शेषाराम, किरण पुत्री शेषाराम का 1/2 हिस्सा व पुकाराम पुत्र प्रभूराम का 1/2 ख.नं. 167 मूल 18 बीघा 2 बिस्[illegible]शित किया गया व निर्णय पारित किया गया तथा आदेश के [illegible] तैयार कर न्यायालय से फाईनल डिक्री जारी कर दी गई। जिसमे इसी आ[illegible]र मौके पर काबिज व उपयोग उपभोग है। न्यायालय आदेश के [illegible] खसरान नम्बर का माफिक बंटवाडा अनुसार नापचौप व तरमीम नही हो रखा है जिस पर इसका फायदा उठाते हुए गैरसायलान् जोर जबरदस्ती सायला के हक हिस्से की एवं उपयोग उपभोग की कृषि भूमि आराजी मे बदनियति पूर्वक मकान निर्माण कर उसे हडपने की योजना बना रहे है। जिस पर सायला ने कई बार उनको ऐसा अवैधानिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

निर्माण उसके हक हिस्से की भूमि मे करने से मना किया तो नहीं माने एवं बेमानिया कथन करते हुए कहा कि बाद तरमीम यह हिस्सा मेरे में रख लुगा और जोर जबरदस्ती निर्माण कार्य शुरू कर दिया एवं कृषि भूमि को अवासीय भूमि मे परिर्वतन करवाये बिना ही अकृषि कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। जबकि ऐसा करने का गैरसायलान को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। सायला वृद्ध महिला है उसके पुत्र नही है मात्र इकलौती पुत्री किरण है जिसकी सम्पति को हडपने की नियत से गैरसायलान् नियतबद्ध होकर ऐसा कार्य कर रहे है जिस पर दिनांक 21/01/2019 को सायला ने मौके पर जाकर ऐसा अवैधानिक कार्य करने से रोकने एवं तहसीलदार जैतारण को प्रार्थनापत्र पेश कर तरमीम करने एवं नापचौप करने का निवेदन भी किया जिस पर भी गैरसायलान् नही माने और नवनिर्माण कार्य कर सम्पति को खूर्द बुर्द करने की योजना बना रहा है। यदि गैरसायलान् अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं सायला को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर कच्चा पक्का निर्माण कर देते है एवं तामिरात बना देते है तो सायला अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो से महरूम हो जायेगी एवं सायला को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्यो को एवं कृषि भूमि मे अकृषि कार्य कर मकान निर्माण करने से रोकने एवं खूर्द बूर्द करने से रोकने बाबत् न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञ का विरूद्ध गैरसायलान् के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा सायला का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायला के पक्ष में है यदि गैरसायलान् बिना नापचौप व राजस्व रेकर्ड मे तरमीम के ही मौके पर कच्चा पक्का निर्माण कर देते है एवं नव निर्माण कर मकान बना लेते है एवं सायला को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायला को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायला अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो से महरूम हो जायेगी तथा मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स होगी पेचीदगिया बढेगी इसलिए गैरसायलान द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है । अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि न्यायालय से फाईनल डिक्री जारी कर दी गई, जिसके अनुसार मौके पर नापचौप पत्थरगड्डी एवं राजस्व रेकर्ड मे तरमीम होकर अमल दरामद नही हो जाती है तब तक गैरसायलान् किसी प्रकार का नव निर्माण चार दीवारी, मकान निर्माण खूर्द बूर्द नही करें एवं कृषि भूमि का अकृषि उपयोग नही करे तथा सायला के हक हिस्से व बंट की भूमि मे सायला, अपना, मामजी उपयोग/उपभोग करे एवं काम मे लेवे तथा काश्त व काश्त मुतालिक काम कार्य करें तो उसमे गैरसायलान् उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के अंतिम निस्तारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seervi
Date: 2021.10.11 16:41:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

तक रोका जावे तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत् रखी जावे।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा. मि. है। नियत पेशी दिनांक 4.03.2021 को गैरसायलान मय वकील प्रतिवादी को रूक-रूक कर बार-बार आवाजें दिलाई गयी, उपस्थित नहीं हुए। अतः एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः**-पत्रावली मय दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का कानूनन बंटवाडा न्यायालय की डिक्री द्वारा हो चुका है। प्रार्थी/वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि मौके पर वर्णित खसरान नम्बर का माफिक बंटवाडा अनुसार नापचौंप एंव तरमीम नही हो रखा है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 14.07.2017 की मौके व रेकर्ड में पालना होने तक मूल वाद में स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 पेश कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है। मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा उक्त डिक्री के सक्षम स्तर से क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई के संबंध में कोई कथन नही किये है। वादी को उक्त निर्णय का सक्षम स्तर से कियान्वयन करवाया जाना चाहिए थां। चुंकि निर्णय दिनांक 14.07.2017 से वादग्रस्त आराजी का सहखातेदारान के मध्य विभाजन होकर खसरा संख्या भी बदल चुकी है। जबकी वादी द्वारा हस्तगत प्रकरण में मूल खसरा संख्या की संपूर्ण भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है जो किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य योग्य नही है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

2.**सुविधा का संतुलन** :- चुंकि प्रथम बिंदु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही हुआ है। वादग्रस्त भूमि सामलाती थी जिनका न्यायालय डिक्री दिनांक 14.07.2017 से कानूनन विभाजन हो चुका है। प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि किस प्रकार वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थी के पक्ष में ही सुविधा का संतुलन रहता है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

3.**अपूरणीय क्षति** : - चुंकि प्रथम दोनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही हुए है। वादग्रस्त आराजी का न्यायालय डिक्री के अनुरूप विभाजन का सक्षम स्तर से कियान्वयन नही करवाया गया है। अतः प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी की गई तो किस प्रकार प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। जबकि उक्त आदेश द्वारा सभी सहखातेदारान के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से एव सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:19 IST
Reason: SelfAttested